

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2402]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939

No. 2402]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ. 2741(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा की उप-धारा (1) के खंड (V) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "उर्वरक के उत्पादन" को विशिष्ट अन्त्य उपयोग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 38036/02/2014-सीए-III]

राजेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O. 2741(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (v) of sub-section (1) of section 3 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), the Central Government hereby specifies "production of fertilizer" to be specified end-use for the purpose of the said Act.

[F. No. 38036/02/2014-CA-III]

RAJESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

5228 GI/2017